सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2024/360 दर्ज तिथिः—14.08.2024

1. पदमाराम पुत्र वीरमाराम
2. शिवजीराम पुत्र वीरमाराम
3. सदराम पुत्र वीरमाराम
   जाति जाट निवासी रामनगर मंगले की बेरी तहसील नोखडा जिला बाडमेर

बनाम

1. मंगनाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट निवासी रामनगर मंगले की बेरी तहसील नोखडा जिला बाडमेर
2. तहसीलदार नोखडा जिला बाडमेर

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री बाबूलाल विश्नोई
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 232/106, 233/106, 234/106, 235/106, 237/106, 238/106 मौजा रामनगर पटवार मण्डल मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
   - ाातेदारी आराजी खसरा संख्या 231/106, 236/106 मौजा रामनगर पटवार मण्डल मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की खातेदारी आराजी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.05 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

- उक्त आराजी का मूल खसरा संख्या 106 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी थी। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा सहमति से विभाजन करवाया गया। उक्त सहमति से विभाजन का मौके पर सही विभाजन किया जाकर कब्जे काश्त कर ली गई। परंतु उक्त सहमति के विभाजन का राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई। इससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के रहवास व टांके एक—दूसरे की तरमीम में आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खसरों की तरमीम मौके पर कब्जा अनुसार की जावे।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र पर लिखित रूप से सहमति प्रदान की। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त आराजी की राजस्व नक्शे में गलत तरमीम के तथ्य को स्वीकारने तथा मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्ती पर सहमत होने से तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के उक्त संयुक्त आराजी की बाद पैमाईश मौके पर कब्जे के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.05 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested